

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 168/2019

1. एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड।

— प्रार्थी

बनाम

1. हरिराम पुत्र लिछमणराम निवासी वार्ड नम्बर 42 बिरोडी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
2. अशोक कुमार पुत्र हरिराम निवासी वार्ड नम्बर 42 बिरोडी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3. श्रीमती कमला देवी पत्नी हरिराम निवासी वार्ड नम्बर 42 बिरोडी छोटी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4. सुरेन्द्र कुमार पुत्र नत्थूराम निवासी वार्ड नम्बर 2 पूनियां की ढाणी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

— ऋणी/अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 एतद् पश्चात "एक्ट" से संबोधित किया गया है ऋणी/जमानती से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने बाबत।

उपस्थित:-

1 एडवोकेट श्री मनोज कुमार वर्मा (एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड) -..... प्रार्थी
बैंक की ओर से

आदेश

दिनांक 30.10.2019

प्रार्थी एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी के पक्ष में उनके आवेदन पर क्रेडिट सुविधा/वित्तीय सुविधा/टर्म लोन (बिजनेस/कंस्ट्रक्शन लोन) के पेटे रूपये 7,50,000/रु. अक्षरे सात लाख पचाह हजार रूपयें की ऋण सुविधा द्वारा ऋण खाता संख्या L9001060101608569 (Old Loan No. LSSKR02713-140237092) दिनांक 10.01.2014 स्वीकृत की गई थी। इस हेतु ऋणी/ऋणीयों/जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण की राशि प्रतिभूति करार के अन्तर्गत निम्न प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है अचल सम्पत्ति :- शॉप नम्बर 5 साउथ स्टेशन रोड़, नीयर घुमचक्कर, तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू नपती 30.66 वर्गगज अप्रार्थी संख्या 1 श्री हरिराम के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है - पूरब में रोड़ जयपुर लोहारू, पश्चिम में सेलर सोसायटी की शेष भूमि, उत्तर में स्टेशन रोड़ तथा दक्षिण में आम रास्ता है। अप्रार्थीगण के द्वारा समय पर ऋण और ब्याज चुकाने में चूक करने पर ऋणी के खाते बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 30.04.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। प्रार्थी बैंक द्वारा दिनांक 24.06.2019 को मांग नोटिस वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत भेज करके 60 दिन में बकाया ऋण राशि रूपये 504026/- (अक्षरे पांच लाख चार हजार छब्बीस रूपये मात्र) मय ब्याज व

जिला कलेक्टर झुंझुनू
(जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट)
झुंझुनू

खर्चा दिनांक 21.06.2019 से भुगतान करने के लिए मांग की। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। अतः सविनय निवेदन है कि उपरोक्त गिरवीकृत सम्पत्ति को रहने वालों से खाली करवा के भौतिक कब्जा बैंक को दिलवाया जाये जिससे अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जानें का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें हैं व प्रार्थी एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें हैं। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पत्ति (अचल सम्पत्ति – शॉप नम्बर 5 साउथ स्टेशन रोड़, नीयर घुमचक्कर, तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू नपती 30.66 वर्गगज अप्रार्थी संख्या 1 श्री हरिराम के मालिकाना हक की है एवं जिसकी चौहदी निम्न प्रकार से है – पूरब में रोड़ जयपुर लोहारू, पश्चिम में सेलर सोसायटी की शेष भूमि, उत्तर में स्टेशन रोड़ तथा दक्षिण में आम रास्ता है।) का पजेशन प्रार्थी एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी एयु. स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड के खर्च पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 30.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रवि जैन)

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू